सत्यमेव जयते

भारत सरकार
तथा
माल्टा गणराज्य सरकार
के बीच
विमान सेवा से संबंधित करार

भारत सरकार तथा माल्टा गणराज्य सरकार जिन्हें एतत्पश्चात "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर,1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं, तथा

अपने-अपने राज्यक्षेत्रों तथा परे के क्षेत्रों के बीच विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजनार्थ नागर विमानन के क्षेत्र में अपने परस्पर संबंधों को बढ़ावा देने तथा एक करार करने के इच्छुक हैं,

निम्नलिखित के अनुसार सहमत हुए हैं:-

अनुच्छेद-1
परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ,जब तक प्रसंग से दूसरी बात अपेक्षित न हो :

(क) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद से अभिप्राय भारत के मामले में, नागर विमानन महानिदेशक से है,जबकि माल्टा के मामले में, नागर विमानन के लिए उत्तरदायी मंत्री अथवा दोनों पक्षों के मामले में, ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय से है, जिसे उक्त वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

(ख) विमान के संबंध में "क्षमता" पद से अभिप्राय मार्ग पर अथवा किसी मार्ग के खण्ड पर उपलब्ध उस विमान के पेलोड से है,

सत्यमेव जयते

§ग§ सहमत सेवाओं के संबंध में "क्षमता" पद से अभिप्राय ऐसी सेवाओं पर प्रयुक्त विमान की क्षमता से है, जो एक नियत अवधि तथा मार्ग या किसी मार्ग के खण्ड पर ऐसे विमान द्वारा प्रचालित आवृत्ति से गुणित हो,

§घ§ "अभिसमय" पद से अभिप्राय शिकागो मे 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय से है, और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत अंगीकार किया गया कोई भी अनुबंध तथा उसके अनुच्छेद 94 अथवा 90 के अभिसमय में अथवा उक्त अनुबंधों में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है, जहां तक कि वे अनुबंध और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिए प्रभावी हो गए हों,

§ड़• § "नामित विमानकंपनी" पद से अभिप्राय ऐसी विमानकंपनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसरण में नामित तथा प्राधिकृत किया गया हो,

§च§ राज्य के संबंध में "राज्यक्षेत्र" पद का अर्थ वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए दिया गया है,

§छ§ "विमान सेवा", "अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवा", "विमानकंपनी" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रुकना" पदों का अभिप्राय क्रमशः वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में उनके लिए परिभाषित किया गया है,

§ज§ "इस करार" पद में इसके अनुबंध तथा इसके अथवा इस करार के संशोधन भी शामिल हैं, तथा

§झ§ "प्रयोक्ता प्रभार" पद से अभिप्राय हवाई अड्डा की संपत्ति अथवा सुविधाएं या हवाई दिक्चालन सुविधाएं, जिसमें विमानों, उनके कर्मीदल, यात्रियों तथा कार्गो के लिए सम्बद्ध सेवाएं तथा सुविधाएं शामिल हैं, मुहैया कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विमानकंपनियों पर लगाया गया अथवा लगाए जाने हेतु उनके द्वारा अनुमत प्रभार।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 2
अधिकारों की स्वीकृति

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के साथ उपाबद्ध अनुसूची के उपयुक्त खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजनार्थ इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है । ऐसी सेवाओं तथा मार्गों को एतत्पश्चात् क्रमशः "सहमत सेवाएं" तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है ।

2• इस करार के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) बिना अवतरण किए दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के पार उड़ान भरना,

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रुकना, तथा

(ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवाएं प्रचालित करते समय प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में इस करार की अनुसूची में उल्लिखित मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट स्थलों पर यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो का अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप में अंतरराष्ट्रीय यातायात को चढ़ाने तथा उतारने का भी अधिकार होगा ।

3• इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा(3) तथा (4) के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमानकंपनी (विमानकंपनियों) को, जो इस करार के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नामित विमानकंपनियों से भिन्न हों, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप पैराग्राफ (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे ।

4• इस अनुच्छेद के पैरा (2) में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में स्थित किसी अन्य स्थल के लिए जाने वाले यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो को विमान में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 3
विमानकंपनियों का नामन तथा उनको प्राधिकार देना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित में एक विमानकंपनी को नामित करने, नामन को वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

2. ऐसे किसी नामन के प्राप्त होने पर, इस अनुच्छेद के पैरा (3) तथा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए दूसरा संविदाकारी पक्ष, नामित विमानकंपनी को बिना विलंब समुचित प्रचालन संबंधी प्राधिकार प्रदान करेगा ।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उन्हें आश्वस्त करे कि वह उन कानूनों तथा विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो सामान्यतया प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में लागू किए जाते हैं ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को ऐसे किसी भी मामले में जहां उक्त संविदाकारी पक्ष इस बारे में आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष में अथवा इसके राष्ट्रिकों में निहित है, इस अनुच्छेद के पैरा (2) में उल्लिखित प्रचालन संबंधी प्राधिकार प्रदान करने से मना करने, अथवा इस करार के अनुच्छेद 2(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों का नामित विमानकंपनी द्वारा प्रयोग करने के संबंध में ऐसी शर्तों को लागू करने, जो वह आवश्यक समझे, का अधिकार होगा। इस पैरा के प्रयोजनार्थ, "वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण" अभिव्यक्ति का अभिप्राय यह है कि ऐसे किसी मामले में जहां नामित विमानकंपनी किसी अन्य देश की अथवा किसी अन्य देश की सरकार या राष्ट्रिकों की विमानकंपनी के साथ कोई करार (वित्तीय पट्टा करारों को छोड़कर) करके सहमत सेवाएं प्रचालित करती है, उस मामले में विमानकंपनी को नामित करने वाला संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों को नामित विमानकंपनी के वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण तब तक प्राप्त हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिक, नामित विमानकंपनी की परिसंपत्तियों के एक बड़े भाग के स्वामित्व के अतिरिक्त निम्नलिखित प्राधिकार भी प्राप्त नहीं कर लेते हैं :-

सत्यमेव जयते

§क§ नामित विमानकंपनी के प्रबंधन में प्रभावी नियंत्रण, तथा

§ख§ नामित विमानकंपनी के विमान बेड़े तथा उपस्कर के एक बड़े भाग पर स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण ।

5• जब किसी विमानकंपनी को नामित करके प्राधिकृत कर दिया गया हो तब वह सहमत सेवाएं प्रचालित करना शुरू कर सकती है बशर्ते कि विमानकंपनी इस करार के लागू उपबंधों का अनुपालन करती हो ।

अनुच्छेद - 4
प्रचालन प्राधिकारों का प्रतिसंहरण अथवा आस्थगन

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहरित अथवा आस्थगित करने अथवा इस करार के अनुच्छेद 2§2§ में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग के संबंध में ऐसी शर्तें जो वह आवश्यक समझे को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है :-

§क§ ऐसे मामले में जहां वह आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण, विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष में अथवा ऐसे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित हैं, अथवा

§ख§ यदि वह विमानकंपनी उन अधिकारों को प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा सामान्यतः लागू किए गए उन कानूनों तथा/अथवा विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, अथवा

§ग§ यदि विमानकंपनी इस करार के अधीन विहित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में अन्यथा विफल रहती है ।

1• जब तक कानूनों तथा/अथवा विनियमों अथवा इस करार के उपबंधों और आगे अतिलंघन रोकने की दिशा में प्रचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण अथवा आस्थगन अथवा इस अनुच्छेद के पैरा §1§ में उल्लिखित शर्तों का अधिरोपण अनिवार्य न हो, तब तक इस

सत्यमेव जयते

करार के अनुच्छेद 15 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके ही ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 5
प्रयोक्ता प्रभार

1• दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी पर, सदृश अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन करने वाली उनकी अपनी विमानकंपनियों पर लगाए गए उन प्रयोक्ता प्रभारों से अधिक प्रभार नहीं लगाएगा अथवा लगाए जाने की अनुमति नहीं देगा ।

2• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्रभारण प्राधिकारियों और उन प्रभारण प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने वाली विमानकंपनियों के बीच, जहां व्यवहार्य हो, उन विमानकंपनियों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से प्रयोक्ता प्रभारों के संबंध में परस्पर परामर्श करने को प्रोत्साहन देगा। प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन संबंधी किन्हीं भी प्रस्तावों का उचित नोटिस ऐसे प्रयोक्ताओं को दिया जाए ताकि ऐसे परिवर्तन किए जाने से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

अनुच्छेद - 6
सीमाशुल्क तथा कार्यविधियां

1• दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर प्रचालित विमानों और ऐसे विमानों में पहले से रखे, बीच में लिए गए अथवा चढ़ाए गए उनके नियमित उपस्करों, ईंधन और स्नेहकों की पूर्तियों तथा विमान भंडारों तथा जो सर्वथा ऐसे विमानों द्वारा अथवा उनमें प्रयोग के लिए आशयित हैं, सभी प्रकार के सीमाशुल्क, निरीक्षण शुल्क तथा अन्य सदृश प्रभारों के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, वही अभिक्रिया की जाएगी जो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा प्रचालित करने वाली उसकी अपनी विमानकंपनियों को अथवा अत्यधिक समर्थन प्राप्त राष्ट्र की विमानकंपनियों को प्रदान की गई अभिक्रिया से कम अनुकूल नहीं हो ।

2• इसी प्रकार की अभिक्रिया दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश के समय दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के संबंध में प्रयोग किए जा रहे विमानों के अनुरक्षण या मरम्मत हेतु अतिरिक्त कल-पुर्जों के लिए भी की जाएगी ।

3• दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमानों में रखे गए नियमित वैमानिक उपस्कर तथा सामग्री और सप्लाई को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में केवल ऐसे राज्यक्षेत्र के सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति के बाद ही उतारा जा सकेगा ।

4• इस अनुच्छेद के पैरा §1§,§2§ तथा §3§ में उल्लिखित सामग्री, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की देख-रेख तथा नियंत्रण में रखने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

अनुच्छेद - 7
प्रतिनिधित्व

1• पारस्परिकता के आधार पर, एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में, यथा अपेक्षित अपने प्रतिनिधियों, वाणिज्यिक, प्रचालन और तकनीकी स्टाफ रखने की अनुमति होगी ।

2• नामित विमानकंपनी के विवेकानुसार स्टाफ संबंधी ये अपेक्षाएं, अपने स्वयं के कार्मिकों द्वारा या दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रचालनरत किसी अन्य संगठन, कम्पनी या विमानकंपनी की, जो उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत हों, सेवाओं का प्रयोग करके पूरी की जा सकती है ।

3• ये प्रतिनिधि तथा स्टाफ दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रवृत्त कानूनों तथा विनियमों के अध्यधीन होंगे, ऐसे कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप ऐसा संविदाकारी पक्ष पारस्परिकता के आधार पर तथा कम से कम समय में इस अनुच्छेद के पैरा §1§ में उल्लिखित प्रतिनिधियों तथा स्टाफ को आवश्यक कार्य परमिट, नियोजन वीजा अथवा ऐसे अन्य प्रलेख प्रदान करेगा ।

4• पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को, अपने राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और अपने विवेकानुसार अपने

सत्यमेव जयते

एजेंटों की मार्फत विमान परिवहन संबंधी सेवाओं की बिक्री करने का अधिकार प्रदान करता है । प्रत्येक नामित विमानकंपनी को ऐसी विमान परिवहन सेवा की बिक्री का अधिकार प्राप्त होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसी परिवहन सेवा के स्थानिक मुद्रा में अथवा सुगमता से परिवर्तनीय किसी अन्य मुद्रा में क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा ।

अनुच्छेद - 8
कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के, अंतरराष्ट्रीय विमान दिक्चालन अथवा प्रचालन में रत विमानों का उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश तथा वहां से प्रस्थान को और उसके राज्यक्षेत्र के अन्दर ऐसे विमानों के होने पर दिक्चालनों को शासित करने वाले, कानून एवं विनियम दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के विमानों पर लागू होंगे ।

2. एक संविदाकारी पक्ष के, इसके राज्यक्षेत्र में यात्रियों, कर्मीदल तथा डाक सहित कार्गो के प्रवेश, मुकाम तथा वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले वे कानून एवं विनियम जो कि पासपोर्ट, सीमाशुल्क, मुद्रा तथा स्वास्थ्य एवं संगरोध से संबंधित हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के विमानों द्वारा वाहित यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो तथा डाक पर लागू होंगे जब वे विमान उक्त राज्यक्षेत्र के भीतर हों ।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, सदृश अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी की तुलना में, अपने सीमाशुल्क, आव्रजन, संगरोध तथा सदृश विनियमों को लागू करने के संबंध में अपनी अथवा दूसरी विमानकंपनी को तरजीह नहीं देगा ।

4. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से होकर सीधे पारगमन वाले यात्री, गैर-कानूनी रूप से विमानों के अपहरण तथा हिंसा को रोकने की दिशा में उठाए गए सुरक्षा उपायों के मामले के अलावा सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन ही रहेंगे । सीधे पारगमन किए जाने वाला सामान और कार्गो, सीमाशुल्क और अन्य दूसरे करों से मुक्त होगा ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 9
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों को उनके संबंधित राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरी विमानकंपनी द्वारा उसी मार्ग(मार्गों) के संपूर्ण अथवा आंशिक हिस्से पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

3. नामित विमानकंपनियों द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रदान की जाने वाली क्षमता और संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाली जनता की अनुमानित विमान परिवहन संबंधी जरूरतों के बीच एक निकट का संबंध रखा जाएगा ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में प्रतिष्ठापित सिद्धांतों पर आधारित, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता तथा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति पर सहमति संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच की जाएगी ।

5. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और/अथवा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृद्धि संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच मुख्यतः बढ़ी हुई यातायात जरूरतों पर आधारित होगी तथा यह दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति के अध्यधीन होगी । इस प्रकार की सहमति अथवा समझौता होने तक, पहले से ही लागू क्षमता तथा आवृत्ति संबंधी पात्रताओं का निर्वाह किया जाता रहेगा ।

अनुच्छेद - 10
प्रचालन संबंधी सूचना की व्यवस्था

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित

विमानकंपनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह सहमत सेवाएं शुरू करने से कम से कम साठ दिन पूर्व, सेवा की किस्म तथा इसकी आवृत्ति, प्रयोग में लाए जाने वाले विमानों की किस्म और उड़ान समयावलियों से संबंधित सूचना उनके विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। इसी तरह की सूचना, सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में जब भी कोई परिवर्तन किया जाना हो, तो कम से कम 30 दिन पहले ही दी जानी अपेक्षित होगी ।

2• नामित विमानकंपनी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को यह आश्वस्त करने के लिए यथाअपेक्षित कोई अन्य सूचना भी देगी कि इस करार संबंधी अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है ।

अनुच्छेद - 11
आंकड़ों की व्यवस्था

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए और वहां से सहमत सेवाओं की बावत प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े, जिनमें इस प्रकार के यातायात के आरोहण तथा अवरोहण संबंधी स्थलों को दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करेंगें अथवा अपनी नामित विमानकंपनी से करवाएंगे। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के तुरंत बाद ही प्रस्तुत करने होंगे, लेकिन यह अवधि संबंधित माह के बाद 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2• अनुरोध पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए तथा वहां से वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम तथा गंतव्य स्थलों से संबंधित एक निश्चित अवधि के आंकड़े जो उस अनुरोध में यथा विनिर्दिष्ट एक आयात यातायात सीजन से अधिक अवधि के न हो, उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित विमानकंपनी से ऐसा करवाएंगे ।

अनुच्छेद-12
टैरिफ

1• अनुगामी पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, "टैरिफ" पद का अभिप्राय यात्रियों और कार्गो के

वहन हेतु भुगतान की जाने वाली कीमतों और उन शर्तों से है जिनके अधीन ये कीमते लागू होती हैं, इसमें एजेंसी से संबंधित कीमतें एवं शर्तें तथा अन्य अनुषंगी सेवाएं भी शामिल हैं, लेकिन इसमें डाक के वहन से संबंधित पारिश्रमिक एवं शर्तें शामिल नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को अथवा वहां से वहन हेतु प्रभारित किए जाने वाले टैरिफ उपयुक्त स्तरों पर निर्धारित किए जाएंगे तथा इसमें प्रचालन लागत, उचित लाभ तथा दूसरी विमानकंपनियों के टैरिफ सहित सभी संगत कारकों का यथोचित ध्यान रखा जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा (2) में उल्लिखित टैरिफों के संबंध में दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच, यदि संभव हो, सहमति होगी और ऐसी सहमति अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की कार्यविधियों का प्रयोग करते हुए, जब कभी संभव हो, की जाएगी।

4. दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों को इस प्रकार सहमत टैरिफ, अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे और ऐसे मामले में इस प्रकार की प्रस्तुति प्रस्तावित प्रभावी तारीख से कम से कम पैंतालीस (45) दिन पहले करनी होगी। विशेष मामलों में, यह अवधि उक्त प्राधिकारियों की सहमति के अध्यधीन कम भी की जा सकती है।

5. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जाये । यदि दोनों में से कोई भी वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार प्रस्तुति की तारीख से तीस (30) दिन के अन्दर अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं करता, तो वे टैरिफ अनुमोदित हुए मान लिये जाएंगे। प्रस्तुत करने की अवधि घटाये जाने की दशा में जैसी कि ऊपर पैराग्राफ 4 में व्यवस्था की गई है, वैमानिकी प्राधिकारी इस बारे में परस्पर सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि जिसके अन्दर किसी अस्वीकृति की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए, तीस (30) दिन से कम होगी।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैरा (3) के अनुसार किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं हो सकती है, अथवा यदि पैरा (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान, एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को पैरा (3) में निहित प्रावधान के अनुसार सहमत किसी टैरिफ पर अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

सत्यमेव जयते

7• यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा §4§ के अधीन उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी टैरिफ पर अथवा पैरा §6§ के अधीन किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं होते तो विवाद का निपटान इस करार के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

8• इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित टैरिफ, नया टैरिफ निर्धारित होने तक प्रभावी रहेगा। तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ की अवधि को इस तारीख के बाद बारह §12§ महीने से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता।

अनुच्छेद-13
उपार्जन का हस्तांतरण

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को प्रथम संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में व्यय से अधिक अर्जित आय की राशि को अपने प्रधान कार्यालय को प्रेषित करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार के धन-प्रेषण, उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में जहां कि राजस्व उपार्जित हुआ हो, विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुरूप किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किए जाएंगे।

2• ऐसे हस्तांतरण मुद्रा भुगतान हेतु शासकीय विनिमय दर के आधार पर किये जाएंगे अथवा जहां कोई शासकीय विनिमय दरें नहीं हैं, वहां ये मुद्रा भुगतान हेतु विद्यमान विदेशी मुद्रा बाजार दरों के आधार पर किए जाएंगे।

3• यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के मध्य भुगतानों के निपटारे के संबंध में विशेष प्रबंध-व्यवस्था प्रभावी है, तो इस प्रकार की प्रबंध-व्यवस्था संबंधी प्रावधान इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के अधीन निधियों के हस्तांतरण के संबंध में लागू होंगे।

अनुच्छेद - 14
विमानन सुरक्षा

1• अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, दोनों

संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की अभिपुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा संबंधी बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है । अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष, विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान में किए गए अपराधों एवं कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्य दमन अभिसमय तथा 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संचालित करने वाले विमानपत्तनों पर हिंसा संबंधी गैर-कानूनी कृत्यों के दमन हेतु प्रोटोकॉल, अथवा विमानन सुरक्षा संबंधी कोई अन्य अभिसमय जिसमें दोनों संविदाकारी पक्ष सदस्य बनेंगे, के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2• अनुरोध किए जाने पर, दोनों संविदाकारी पक्ष, गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमानों, उसके यात्रियों एवं कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की संरक्षा के प्रति अन्य गैर-कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए और नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति किसी अन्य खतरे के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।

3• दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक कि ऐसे सुरक्षा उपबंध इन पक्षों पर लागू होते हैं । वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या उन विमानों के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उनके क्षेत्र में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।

4• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उसके राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय, वहां से प्रस्थान करते समय, या उसमें रहते समय, अपेक्षित ऊपर पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विमानन संरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्य क्षेत्र में विमानों की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडारों को विमान में लादने से पहले या उसके दौरान

सत्यमेव जयते

उनकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा ।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमानों, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के प्रति कोई गैर-कानूनी कृत्य किया जाता है तो दोनों संविदाकारी पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा जिसे कि वह व्यवहार्य समझे और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि यदि कोई विमान गैर-कानूनी अभिग्रहण अथवा किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कारण उसके राज्य क्षेत्र में उतरा है, रोके रखा जाएगा बशर्ते कि मानव जीवन की रक्षा के लिए उसका वहां से भेजा जाना अनिवार्य न हो । जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, इस प्रकार के उपाय आपसी विचार-विमर्श के आधार पर किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 15
परामर्श एवं संशोधन

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार के कार्यान्वयन, निर्वचन, प्रयोज्यता अथवा संशोधन संबंधी परामर्शों के लिए किसी भी समय अनुरोध कर सकता है । ऐसा परामर्श, जो वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच हो सकता है और जो कि बातचीत अथवा पत्राचार के माध्यम से हो सकता है और यह परामर्श लिखित अनुरोध की प्राप्ति के साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर ही आरंभ कर लिया जायेगा ।

2. इस करार में परामर्शों के परिणामस्वरूप सहमत कोई भी आशोधन राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि कर दिए जाने के बाद ही प्रभावी होगा ।

3. तथापि, अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों के संबंध में आशोधन, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष सहमति द्वारा किए जा सकते हैं जबकि ये उनके द्वारा निर्धारित की गई तारीख को ही प्रभावी होंगे ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 16
विवादों का निपटान

1• इस करार के निर्वचन अथवा प्रयोज्यता से संबंधित यदि कोई विवाद उठता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर बातचीत करके इसके निपटान के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में विवाद को निपटान हेतु संविदाकारी पक्षों को भेज दिया जायेगा ।

2• यदि दोनों संविदाकारी पक्ष भी बातचीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं तो वे दोनों उस विवाद को निर्णय हेतु किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेज सकने के लिए रजामंद हो सकते हैं । यदि वे इस बात पर सहमत न होते हो तो विवाद को दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर तीन मध्यस्थों वाले अधिकरण को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा एक-एक मध्यस्थ नामित किया जाएगा जबकि तीसरा इन नामित दोनों मध्यस्थों द्वारा नामित किया जाना है । यह तीसरा मध्यस्थ विवाचन अधिकरण के अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करेगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को एक एक मध्यस्थ का नामांकन दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यमों के जरिए नोटिस प्राप्ति की तारीख से, जिसमें विवाद की मध्यस्थता किसी ऐसे अधिकरण द्वारा किए जाने का अनुरोध किया गया हो, साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर करना होगा और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति अगले साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर की जायेगी । यदि दोनों में से कोई संविदाकारी पक्ष निर्धारित अवधि के अंदर एक मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहता है, अथवा यदि तीसरा मध्यस्थ निर्धारित अवधि के अंदर नियुक्त नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद का अध्यक्ष दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर एक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, की नियुक्ति कर सकता है । ऐसे मामले में, तीसरा मध्यस्थ किसी तीसरे देश का राष्ट्रिक होगा और वह मध्यस्थ विवाचन अधिकरण के अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करेगा ।

3• विवाचन अधिकरण अपनी स्वयं की क्रियाविधि का निर्धारण करेगा तथा वह मध्यस्थता संबंधी व्यय के अंशापन के बारे में निर्णय करेगा ।

4• दोनों संविदाकारी पक्षों को इस अनुच्छेद के पैरा (2) के अधीन दिए गए किसी भी

सत्यमेव जयते

निर्णय का अनुपालन करना होगा ।

अनुच्छेद - 17
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1• जिस सीमा तक ये इस करार के अंतर्गत स्थापित विमान सेवाओं के लिए लागू हैं, अभिसमय के उपबंध, इस करार की समयावधि तक संविदाकारी पक्षों के बीच अपने वर्तमान रूप में ही प्रभावी रहेंगे, जैसे कि ये करार के अभिन्न अंग हों, जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी संशोधन की अभिपुष्टि नहीं करते, उसके बाद जो विधिवत रूप से प्रभावी हो जाएगा, और उस स्थिति में यथा संशोधित अभिसमय इस करार की समयावधि तक प्रभावी रहेगा ।

2• यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रवर्तन में आ जाता है तो ऐसे अभिसमय के उपबंध प्रभावी होंगे ।

अनुच्छेद - 18
पंजीकरण

यह करार तथा तत्संबंधी कोई संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - 19
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने संबंधी अपनी इच्छा के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है । इस प्रकार के नोटिस की सूचना साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को दी जाएगी। यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो यह करार दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारह§12§ महीने बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व करार समाप्त करने संबंधी यह नोटिस सहमति से वापस नहीं ले लिया जाता । दूसरे संविदाकारी पक्ष की ओर से प्राप्ति सूचना न मिलने की स्थिति में, उक्त नोटिस अंतरराष्ट्रीय

सत्यमेव जयते

नागर विमानन संगठन को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से चौदह (14) दिन के बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 20
प्रवर्तन

यह करार हस्ताक्षरित होने की तारीख से प्रभावी होगा ।

इस करार के साक्ष्य-स्वरूप, अधोहस्ताक्षरियों ने, संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

में दिनांक 5th Oct, 1998 को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया जिसके दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । निर्वचन से संबंधित कोई भी मतभेद होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रवृत्त होगा ।

कृते भारत सरकार

कृते माल्टा गणतंत्र सरकार